छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2006—2007

प्रभारी मंत्री	माननीय श्री हेमचंद यादव
संसदीय सचिव	माननीय श्री महेश बघेल

<u>मंत्रालय</u>

प्रमुख सचिव	श्री विवेक ढाँड
सचिव	श्री सुनील कुजूर
संयुक्त सचिव	श्री दिलीप वासनीकर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री व्ही.एन.व्ही. नायर
	श्री एम.के. इदनानी
अवर सचिव	श्री एम.एम. मिंज

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता	श्री एन.एस. भदौरिया (दि. 31.08.06 को सेवानिवृत्त) श्री एस.के. भादुडी (दिनांक 1.09.06 से)

<u>भाग – एक</u>

<u>विभाग की संरचना</u>

1.1 सामान्य

शासकीय स्त्रोतों से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त सिंचाई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः जल संसाधन विभाग का है ।

1.2 संरचना

जल संसाधन विभाग में एक प्रमुख अभियंता के अंतर्गत निम्नानुसार 4 मुख्य अभियंता कार्यरत है :–

अ. कछारीय मुख्य अभियंता (दो)

मुख्य अभियंताओं का जिलेवार कार्य क्षेत्र इस प्रकार है :–

1. महानदी गोदावरी कछार, रायपुर –
   रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम

2. हसदेव कछार, बिलासपुर –
   सरगुजा, कोरिया, जषपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, कबीरधाम (आंशिक)

ब. वृहद परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिये मुख्य अभियंता (दो)

1. महानदी परियोजना, रायपुर –
   कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, रायपुर

2. मिनीमाता (बांगो) परियोजना, बिलासपुर
   कोरबा, जांजगीर, रायगढ़

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/संभागों का विवरण

वर्तमान में जल संसाधन विभाग में एक प्रमुख अभियंता, 4 मुख्य अभियंताओं की संरचनाएँ, 11 मंडल, 60 संभाग, 291 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है। छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के परिपत्र क्र. 38/170/3–1/2004, दिनांक 06.02.04 में जारी निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय अंतिम विभाजन में प्राप्त अमलों/अराज्य स्तरीय पदों में कार्यरत अमलों के अनुसार मैदानी संरचनाओं का संशोधित सेटअप की स्वीकृति छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 11–2/31/स्था. /2005/दि. 04.01.07 द्वारा प्रदान की गई है।

1.4 विभाग का दायित्व

प्रदेश में सतही जल तथा भू–जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का मुख्य दायित्व जल संसाधन विभाग का है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- राज्य में जल संसाधन का आंकलन करना और संपूर्ण जल सेक्टर के लिये व्यापक योजना बनाने के लिये नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाईन) जारी करना।
- उपलब्ध जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना ।
- सिंचाई तथा कमांड एरिया के विकास के लिये सिंचाई तथा जल निकास कार्यों के संबंध में नीति निर्धारण करना और संसाधन प्राप्त करने की भूमिका निभाना।
- भू–जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर सिंचाई के लिये जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिये नीति निर्धारण करना ।
- योजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा योजनाओं का विस्तृत रूपांकन और परियोजना प्रतिवेदन बनाना ।

- वृहद, मध्यम एवं लघु योजना, उद्वहन तथा नलकूपों का निर्माण, निर्मित सिंचाई योजनाओं का रखरखाव तथा चालन इत्यादि ।
- बांधों, नहरों का विस्तृत रूपांकन, हायड्रोलाजिक अनुसंधान मॉडल अध्ययन तथा निर्माण सामग्री का परीक्षण इत्यादि ।
- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना तैयार करना ।

1.5 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

प्रमुख अभियंता

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष है। उनके अंतर्गत कछार एवं परियोजनाएं कार्यरत है। उनके मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैः–

- कार्य योजना तैयार करना ।
- वित्तीय आबंटन संबंधी कार्य ।
- स्थापना से संबंधित कार्य ।
- औजार एवं संयंत्र का नियंत्रण ।
- विकास एवं अनुसंधान, नियंत्रण एवं पालन ।
- मुख्य अभियंताओं के मध्य समन्वय।

मुख्य अभियंता

अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कछार (जोन) एवं परियोजना के मुख्य अभियंता भी विभागाध्यक्ष घोषित हैं। वे अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों के त्वरित एवं

युक्ति संगत क्रियान्वयन के लिये व्यावसायिक सलाहकार के रूप में प्रतिस्थापित है। वे अपने कार्यक्षेत्र की योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिये उत्तरदायी है ।

अधीक्षण अभियंता

अधीक्षण अभियंता, मण्डल के प्रभार में या मुख्य अभियंता के कार्यालय में संलग्न रहते हुये अपने क्षेत्र के अधीन लेखा कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के संपादन के लिये उत्तरदायी है । अधीक्षण अभियंता ऐसे सभी आदेशों एवं निर्देशों के लिये भी उत्तरदायी हैं जो उन्हें समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होते है। मैदानी अधीक्षण अभियंता मुख्यतः वृहद् परियोजनाओं में पदस्थ है और वे अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये नियंत्रण अधिकारी है।

कार्यपालन अभियंता

कार्यपालन अभियंता संभाग का शीर्ष अधिकारी है। संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के नियंत्रण में रहते हुये उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये पूर्ण उत्तरदायी है । कार्यपालन अभियंता का कार्य क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें योजना तैयार करना, निर्माण, रख–रखाव एवं अन्य समस्त यांत्रिकीय कार्य का समावेश है। इन कार्यों को नियंत्रण में रखते हुये सफलतापूर्वक उनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यपालन अभियंता को योजना, अनुसंधान एवं निर्माण, रख–रखाव से संबंधित समस्त कार्यों को प्रभावी ढंग से कराने का उत्तरदायित्व है ।

सहायक अभियंता

सहायक अभियंता अनुविभाग के प्रभार में रहते हुये अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति मुख्यतः उत्तरदायी है। सहायक अभियंता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से, स्वीकृत मापदण्ड, ड्राईंग एवं नियमों के अनुसार कार्यों का सम्पादन कराने के लिये भी उत्तरदायी है ।

अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुये सहायक अभियंता को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई राजस्व वसूली के लिये नहर समाहर्ता के रूप में केनाल डिप्टी कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें प्रति वर्ष सिंचाई राजस्व वसूली के दायित्व का भी निर्वहन करना है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में परियोजना के सर्वेक्षण कार्य, अनुसंधान एवं ड्राईंग बनाने का कार्य किया जाता है एवं वित्तीय आदान–प्रदान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त किया जाता हैं ।

उप अभियंता

उप अभियंता, वास्तविक रूप से अपने प्रभार के निर्माण कार्यों के निष्पादन में विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। जल कर वसूली के लिये उसे अतिरिक्त तहसीलदार के समकक्ष अधिकार प्राप्त है एवं सफल जल वितरण के लिये सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है ।

1.6 <u>विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी</u>

कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के शेष भाग जल संसाधन में सम्पन्न हैं। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 59.90 लाख हेक्टेयर मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है, जिसमें से 41.72 लाख हेक्टेयर मीटर का 22% अंश ही अब तक उपयोग में लाया जा सका है। छत्तीसगढ़ राज्य की नदियां मुख्यतः वर्षा–पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्गम पर्वतों से है जो हिम–विहीन है ।

प्रदेश की नदियाँ सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। भौगोलिक रचना के अनुसार प्रदेश को पांच नदी कछारों में विभक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में इन नदी कछारों का जल ग्रहण क्षेत्र निम्नानुसार है :–

गंगा कछार	18, 808 वर्ग किमी
ब्राह्मणी कछार	1, 316 वर्ग किमी
नर्मदा कछार	2, 113 वर्ग किमी
महानदी कछार	75, 546 वर्ग किमी
गोदावरी कछार	39, 577 वर्ग किमी
कुल योग	**1,37,360 वर्ग किमी**

गंगा कछार उत्तर में, नर्मदा कछार पश्चिम में, ब्राह्मणी कछार उत्तर पूर्व में, महानदी कछार मध्य में और गोदावरी कछार दक्षिण में स्थित है । भूगर्भीय जल की मात्रा 13.677 लाख हेक्टेयर मीटर आंकलित है। जिसका 20% वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है।

सिंचाई के मुख्य स्त्रोत नहरें, नलकूप, तालाब, कुएँ आदि है। राज्य में शासकीय नहर प्रणाली सिंचाई का प्रमुख साधन है, निजी स्त्रोतों में नलकूप एवं कुएँ द्वितीय क्रम पर आते है ।

वर्ष 2000 में राज्य के गठन के समय में शासकीय स्त्रोतों द्वारा प्राप्त की गयी सिंचाई क्षमता लगभग 13.28 लाख हेक्टेयर थी, जो कुल बोये गये क्षेत्र का लगभग 23% थी, जो मार्च 2006 में बढ़कर 29% हो गयी है।

सामान्य प्रमुख विशेषताएं –

छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.36 लाख हेक्टेयर एवं बोया गया क्षेत्र 57.16 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया क्षेत्र 47.70 लाख हेक्टेयर है । प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामों में बसती है, जो मुख्यतः खेती पर निर्भर है । राज्य की परम सिंचाई क्षमता लगभग 43 लाख हेक्टेयर आंकी गई है। राज्य गठन के उपरांत राज्य शासन द्वारा जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2005–06 में 0.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया। राज्य गठन के बाद मार्च 2006 तक 3,53,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई। मार्च 2006 की स्थिति में निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं से कुल 16 लाख 81 हजार हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ है, जो निरा बोये गये क्षेत्र का 35% है एवं कुल बोये गये क्षेत्र का 29% है। प्रदेश में वर्तमान में 4 वृहद, 33 मध्यम एवं 2194 लघु कुल 2231 योजनायें निर्मित है तथा 7 वृहद, 12 मध्यम एवं 651 लघु योजनायें निर्माणाधीन है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश की विभिन्नि नदियों में 595

एनीकट (अनुमानित लागत रू. 1650 करोड़) चिन्हांकित किये गये हैं। इनके निर्माण से निस्तार, कृषि, उद्योगों आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति के साथ भू–जल संग्रह बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में 37 एनीकट जिनकी लागत रू. 21.88 करोड़ है का निर्माण किया जा चुका है एवं 66 एनीकट जिनकी अनुमानित लागत रू 160 करोड़ है, निर्माणाधीन है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2006–07 में विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रावधान एवं अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है :–

राशि करोड़ रूपये/सिंचाई हजार हेक्टेयर में

योजना	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007		वार्षिक योजना 2006–07 प्रस्तावित	
	प्रावधान	प्रस्तावित सिंचाई लक्ष्य	प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य	सिंचाई लक्ष्य
वृहद एवं मध्यम	1994.17	200	425.96	37
लघु सिंचाई योजना	1003.95	160	348.28	54
बाढ़ नियंत्रण	1.88	–	3.85	–
कुल योग	**3000.00**	**360**	**778.09**	**91**

भाग – दो

विभागीय बजट

2.1 जल संसाधन विभाग में वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये वृहद, मध्यम, लघु एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये राज्य योजना मण्डल द्वारा रूपये 778.09 करोड़ राशि की निर्धारित आयोजना सीमा के विरूद्ध पुनरिक्षित विभागीय बजट में रूपये 859.137 करोड़ की (अनुपूरक सहित) राशि प्राप्त हुई है ।

2.2 विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाओं से 91,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । जिसके विरूद्ध दिसंबर 2006 तक 15,000 हे. सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।

2.3 आदिवासी उपयोजना

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे कम से कम 50 प्रतिशत है आदिवासी परिवारों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनका लाभान्वित होने वाला क्षेत्र, योजना से कुल लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का कम से कम पचास प्रतिशत है। तदनुसार आदिवासी क्षेत्र में 366 योजनाओं के निर्माण हेतु बजट प्रावधानित किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से खरखरा मोहंदीपाट नहर प्राणाली (जिला दुर्ग) एवं कोसारडेटा मध्यम परियोजनाएं (जिला बस्तर) निर्माणाधीन हैं।

2.4 विशेष घटक योजना

विशेष घटक के अंतर्गत, ऐसी योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्र को लाभ होता है । वर्तमान में निम्न जिलों में विशेष घटक की 9 योजनाएं निर्माणाधीन हैं :–

स. क्र.	जिला	योजना की संख्या	स. क्र.	जिला	योजना की संख्या
1.	बिलासपुर	1	4.	रायपुर	3
2.	धमतरी	3	5.	राजनांदगांव	1
3.	कबीरधाम	1		**कुल**	**9**

2.5. उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश में 278 सामान्य लघु योजनाएं निर्माण हेतु स्वीकृत हैं।
2.6. वर्षवार आबंटन एवं व्यय की राशि – संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।

विभागीय बजट

राशि लाख रू. में

स.क्र.	लेखा शीर्ष	नवंबर 2000 से मार्च 2001		2001–02		2002–03		2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन (अनुपूरक सहित)	व्यय माह 12/06 तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	14	15	16
I	गैर योजना मद (आयोजनेत्तर)														
1.	वृहद मरम्मत	464.40	479.22	1248.40	1245.25	1810.00	1739.57	1583.00	1583.07	1410.00	1396.29	2032.30	2006.42	1943.70	1303.97
2.	मध्यम मरम्मत	141.88	142.87	488.40	463.65	500.00	496.27	590.00	593.60	600.00	587.63	385.60	377.41	440.65	309.59
3.	लघु मरम्मत	424.86	358.79	654.86	614.54	770.00	757.94	780.00	773.08	850.00	821.79	897.00	861.37	1141.50	686.95
4.	स्थापना	1201.52	962.58	2680.79	2781.42	3272.52	2874.17	3209.40	3063.13	3231.56	3129.11	3250.90	3016.49	3480.95	2515.89
5.	अन्य (औजार संयंत्र उच्चंत)	160.00	155.32	23.00	61.15	37.00	32.63	35.00	37.54	35.00	20.30	41.00	104.21	44.00	56.60
	योग आयोजनेत्तर	**2392.66**	**2098.78**	**5095.45**	**5166.01**	**6389.52**	**5900.58**	**6197.40**	**6050.42**	**6126.56**	**5955.12**	**6606.80**	**6365.90**	**7050.80**	**4873.00**
II	योजना मद (आयोजना)														
1.	सामान्य	906.70	660.98	3441.86	2943.89	6207.50	5643.70	10982.00	10070.51	32365.60	27856.87	33415.00	27096.40	37398.00	15060.46
2.	ए.आई.बी.पी.	1252.00	1211.68	7566.30	7558.85	15988.00	15902.02	18222.90	17082.77	1814.85	1345.03	1345.25	487.66	8319.25	1933.28
3.	नाबार्ड	1591.10	1252.50	4981.52	4243.40	7038.90	6800.88	9607.40	8456.41	23135.00	20211.80	18420.00	15315.53	16356.00	8538.91
4.	आदिवासी उपयोजना	1769.98	896.78	2784.35	2052.03	6022.00	3384.54	4086.00	1967.11	9101.15	7621.45	9834.00	7222.81	13337.00	2736.83
5.	विशेष घटक योजना	36.00	-	410.00	163.69	539.42	207.18	110.00	74.97	472.00	422.79	1010.00	602.23	777.00	597.49
6.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परि.	513.00	224.99	537.20	402.12	774.00	732.49	250.00	220.30	240.00	212.10	225.00	223.22	644.00	168.94
7.	स्थापना	2421.56	1793.64	5395.48	5088.01	5609.80	5357.09	6004.70	5827.22	6091.10	5864.15	6192.72	5926.30	6442.03	4633.09
8.	अन्य (औजार संयंत्र एवं उच्चंत)	274.13	350.26	865.00	778.63	819.30	787.24	1528.00	1553.25	1104.00	907.57	850.00	811.84	830.50	649.49
9.	छ.ग. सिं.वि.परि. (ए.डी.बी.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.00	0.00	1810.00	117.85
	योग आयोजना	**8764.47**	**6390.83**	**25981.71**	**23230.62**	**42998.92**	**38815.14**	**50791.00**	**45252.54**	**74323.70**	**64441.76**	**71400.97**	**57685.99**	**85913.78**	**34436.34**
	महायोग	**11157.13**	**8489.61**	**31077.16**	**28396.63**	**49388.44**	**44715.72**	**56988.40**	**51302.96**	**80450.26**	**70396.88**	**78007.77**	**64051.89**	**92964.58**	**39309.34**

2.7 सिंचाई राजस्व – लक्ष्य एवं उपलब्धियॉं

जल संसाधन विभाग कृषकों के लिए सिंचाई के लिए, नगरीय निकायों को घरेलू उपयोग के लिए, विद्युत ताप गृहों को उर्जा उत्पादन के लिये एवं उद्योगों को औद्योगिक उपयोग के लिये जल उपलब्ध कराता है ।

15 जून, 1999 से संपूर्ण राज्य में विद्यमान एवं प्रस्तावित सभी तालाबों, नहरों इत्यादि से जल प्रदाय के लिये निम्नलिखित तालिका के स्तंभ में वर्णित सभी फसलों के लिए उनके सम्मुख स्तंभ तीन के अनुसार जल दर लागू है।

छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजनाओं से कृषि जल प्रदाय की जल दर तालिका
(प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)

स. क्र.	फसल का नाम	जल कर रूपये प्रति एकड़ में
(1)	(2)	(3)
1.	धान–खरीफ	81
	धान–रबी	200
2.	गेहूं अधिकतम तीन सिंचाई पलेवा के साथ	81
	प्रत्येक एक अतिरिक्त सिंचाई के लिए	25
3.	केला, पान, उद्यान की उपज, रबर प्लांट, गन्ना व धान	300
4.	हरा चारा, फसल, मूंगफली (रबी), ज्वार, मूंग, (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर (खरीफ), उड़द	50
5.	धनिया, चना, मूंगफली (रबी), मूंग (रबी), सरसों, सनफ्लावर (सूरजमुखी), सोयाबीन (रबी), तुअर (रबी)	100
6.	कपास साधारण	70
	कपास संकर	150
7.	जौ, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, मिर्च, ककड़ी, डेलोकेसिया, मैथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिंडी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तंबाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियॉं	200
8.	वरसीम घास (चारा फसल)	150
9.	भूमि की तैयारी के लिये सिंचाई (पलेवा)	40

2.8 कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए–जलदर (1.5.2006 से प्रभावशील)

2.8.1. औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन हेतु :–

अ. शासकीय स्त्रोत से –

(i) बांध/जलाशय से रू. 3.00 प्रति घनमीटर

(ii) नहर प्रणाली से रू. 3.60 प्रति घनमीटर

ब. नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से रू. 0.90 प्रति घनमीटर

2.8.2 जल विद्युत प्रयोजना हेतु (उपयोग पश्चात् पुर्नप्राप्ति)

अ. शासकीय स्त्रोत से –

(i) बांध/जलाशय से — 30 पैसे प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर (Kwh) तथा 150 पैसे प्रति 100 इकाई विद्युत उत्पादन पर प्रतिवर्ष एस्केलेशन चार्जेस

(ii) नहर प्रणाली से — 36 पैसे प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर (Kwh) तथा 180 पैसे प्रति 100 इकाई विद्युत उत्पादन पर प्रतिवर्ष एस्केलेशन चार्जेस

ब. नैसर्गिक/स्वनिर्मितस्त्रोत से — 06 पैसे प्रति विद्युत इकाई उत्पादन (Kwh) उत्पादन पर

वर्ष 2003–04 से वर्ष 2006–07 तक (दिसम्बर 06 तक) सिंचाई उद्योग पेयजल आदि से राजस्व वसूली के आंकड़े :–

राशि लाख रू. में

स. क्र.	वर्ष	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अवशेष राशि	चालू वर्ष की मांग राशि	कुल राशि	वसूली		
					अवशेष राशि	चालू मांग से	कूल वसूली
1.	2003–04	9994.05	6080.58	16074.63	1919.89	2975.74	4895.63
2.	2004–05	10987.43	6357.66	17345.09	1058.88	4485.14	5544.02
3.	2005–06	9960.99	5064.28	15025.27	878.38	3469.69	4348.08
4.	2006–07 (दिस–06 तक)	14940.11	10293.66	25233.77	368.60	3981.41	4350.01

भाग – तीन
राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऍ

3.1 राज्य योजनाऍ :–

वर्तमान में प्रदेश में 7 वृहद, 12 मध्यम एवं 651 लघु सिंचाई योजनाऍ निर्माणाधीन है, जिनकी कुल लागत लगभग रू. 6530.58 करोड़ आंकलित है । इन योजनाओं में अब तक रूपये 3188.00 करोड़ व्यय किया गया है। इन निर्माणाधीन योजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश की वर्तमान निर्मित सिंचाई क्षमता शासकीय स्त्रोतों से 16.81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 18.99 लाख हेक्टेयर हो जाएगी । जल संसाधन विभाग द्वारा विकास कार्यों को निरंतर गति देने के लिये विभिन्न वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का वर्ष 2006–07 का कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

(1) वृहद योजना – छत्तीसगढ़ में 4 वृहद परियोजनायें निर्मित है एवं 7 वृहद परियोजनाऍ निर्माण के अग्रिम चरण में है ।

(2) मध्यम योजनाऍ – विभाग के अंतर्गत 33 योजनाऍ निर्मित है एवं 12 मध्यम परियोजनाऍ निर्माण हेतु स्वीकृत है ।

(3) लघु योजनाऍ – विभाग के अंतर्गत 2194 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित हैं एवं 651 लघु सिंचाई योजनायें निर्माण हेतु स्वीकृत है।

पूर्ण/निर्माणाधीन योजनाओं से निर्मित सिंचाई क्षमता का विवरण
(मार्च 2006 की स्थिति में)

क्षमता – मि.घ.मी. में
क्षेत्र – हेक्टेयर में

स क्र	योजनाओं का प्रकार	संख्या			उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	रूपांकित क्षेत्र			निर्मित क्षेत्र		
		निर्मित	निर्माणाधीन	योग		खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	वृहद	4	5	9	5218.82	739268	227250	966518	670344	211627	881971
2	मध्यम	33	8	41	1292.378	232129	36238	268367	208421	26654	235075
3	लघु	2194	363	2557	1288.949	604963	59542	664505	514727	49008	563735
योग		**2231**	**376**	**2607**	**7800.147**	**1576360**	**323030**	**1899390**	**1393492**	**287289**	**1680781**

उपरोक्तानुसार पूर्ण योजनाओं एवं निर्माणाधीन योजनाओं से लगभग 16.81 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है।

दिसम्बर 2006 की स्थिति में निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

3.1.1 वृहद योजनायें :–

स. क्र.	योजना का नाम	जिला	प्रशा. स्वी. (रू. करोड़)	प्रारंभ वर्ष	रूपांकित क्षमता (हे.)	सृजित (हे.) (मार्च 06 की स्थिति में)	बजट प्रावधान (06–07) (रू. करोड़)
1.	हसदेव बांगो परियोजना	कोरबा / जांजगीर चांपा	1312.32	1982	433500	415057	90.00
2.	केलो परियोजना	रायगढ़	98.50	2003	26800	–	
3.	महानदी परियोजना (समूह)	रायपुर / धमतरी	566.88	1971	264311	261568	30.00
4.	सोंढूर परियोजना	धमतरी	132.00	1982	12260	11688	41.60
5.	राजीव आगमेंटेशन फेस – ।।	रायपुर	127.00	2004	28000	–	43.00
6.	तांदुला नहर (लाइनिंग)	दुर्ग	51.03	2003	13896	7286	28.30
7.	कोडार जलाशय नहर लाईनिंग आदि	महासमुंद	47.68	2005	–	–	6.00
	योग		2335.41	–	778767	695599	238.90

3.1.2 मध्यम योजनायें :–

स. क्र.	योजना का नाम	जिला	प्रशा. स्वी. (रू. करोड़)	प्रारंभ वर्ष	रूपांकित क्षमता (हे.)	सृजित (हे.)	बजट प्रावधान (रू. करोड़)
1.	मोंगरा बैराज	राजनांदगांव	76.00	2003	11500	–	20.00
2.	सुतियापाट	कबीरधाम	36.95	2003	6960	–	10.00
3.	खरखरा मोहदीपाट फेस 1 व 2	दुर्ग / राजनांदगांव	43.81	1999	12145	–	3.75
4.	कोसारटेडा	बस्तर	60.84	–	11120	–	22.54
5.	कर्रानाला	कबीरधाम	39.20	2004	4100	–	16.00
6.	सूखानाला	राजनांदगांव	45.73	2004	6270	–	20.10
7.	घुमरिया	राजनांदगांव	24.78	2004	3450	–	25.00
8.	सरोदा (नहर लाइनिंग)	कबीरधाम	4.10	–	–	–	2.00
9.	खरखरा लाईनिंग	दुर्ग	22.60	–	–	–	5.00
10.	श्यामघुनघुट्टा	सरगुजा	40.23	1976	13050	11500	0.85
11.	माण्ड व्यपवर्तन	रायगढ़	56.40	1976	13118	13118	0.50
12.	बरनई	सरगुजा	24.09	1984	2820	2185	0.30
	योग	–	474.73	–	84533	26803	126.04

3.1.3 प्रदेश के जलाशयों में उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर वर्ष 2006–07 में खरीफ सिंचाई के 12.24 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 10.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नवंबर 2006 तक सिंचाई की गई है। वर्ष 2006–07 में 1.30 लाख हेक्टे. क्षेत्र में रबी सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है।

3.2 केन्द्र सहायतित : त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

3.2.1 भारत सरकार के संशोधित दिशा निर्देश दिसंबर 2006 के अनुसार वृहद, मध्यम योजनाओं के निर्माण तथा इनके पुनरोद्धार के कार्य योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत लिये जा सकते हैं तथा आदिवासी एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र की लघु योजनाएं जो राज्य योजना मंडल से अनुमोदित है को भी ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य को महानदी परियोजना के शेष कार्यों, कोसारटेडा मध्यम परियेाजना के कार्यों तथा राज्य की आदिवासी अंचल की 26 योजनाएं एवं सूखा उन्मुख क्षेत्र की एक योजना कुल 27 योजनाओं के कार्यों को ए.आई.बी.पी. सहायता प्राप्त है।

3.2.2 केन्द्र सहायतित योजनाएं एवं स्वीकृत त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत (ए.आई.बी.पी.)

स. क्र.	परियोजना का नाम	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने का वर्ष	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत प्रस्तावित राशि (करोड़ में)	वर्ष 2006–07 के लिए प्रस्तावित			ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (हे. में)
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
अ.	**सम्मिलीत योजनायें**						
1.	कोसारटेडा मध्यम	2002–03	31.11	9.50	4.75	14.25	11,220
2.	महानदी परियोजना समूह	2005–06	235.67	57.30	28.65	85.95	13,883
3.	27 लघु सिंचाई योजनाएं	2006–07	53.95	16.70	8.02	24.72	9,787
ब.	**शामिल करने हेतु प्रस्तावित योजनाएं**						
1.	हसदेव बांगो परियोजना फेस–IV	2006–07	143.62	91.00	–	91.00	–
2.	16 लघु सिंचाई योजनाएं	2006–07	65.88	15.82	7.57	23.39	9,186

3.3 नाबार्ड पोषित योजनाएं :

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था के अभाव में कई निर्माणाधीन योजनायें वर्षों से अपूर्ण स्थिति में चली आ रही थीं । इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिये वर्ष 1995–96 से नाबार्ड से सहायता प्राप्त कर इन्हें पूर्ण करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया । संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

■ मार्च 2006 तक नाबार्ड द्वितीय चरण से ग्यारवें चरण तक स्वीकृत योजनाएँ (संख्या)	–	338
• नाबार्ड ऋण स्वीकृति की कुल लागत	–	रू. 647.84 करोड़
• नाबार्ड अंतर्गत सिंचाई क्षमता का सृजन (द्वितीय चरण से एकादश चरण तक का लक्ष्य)	–	1.71 लाख हे.
• दिसम्बर 2006 तक पूर्ण कुल योजनायें	–	218
• अतिरिक्त निर्मित सिंचाई क्षमता	–	0.91 लाख हे.
■ शेष निर्माणाधीन योजनाएँ	–	120
■ शेष योजनाओं के पूर्ण करने का कार्यक्रम (संख्या)		
• मार्च 2007 तक	–	81
• 2007–08 में	–	39
कुल	–	**120**
■ 338 योजनाओं की पुनरीक्षित लागत	–	रू. 961.17 करोड़
• मार्च 2006 तक व्यय	–	रू. 576.05 करोड़
• दिसम्बर – 2006 तक व्यय	–	रू. 659.55 करोड़
• शेष योजनाओं को पूर्ण करने के लिये आवश्यक राशि	–	रू. 301.62 करोड़

नाबार्ड पूर्ण योजनाओं की वर्षवार जानकारी

माह–दिसंबर–2006

सिंचाई क्षमता–हेक्टयर में

स. क्र.	चरण	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	नाबार्ड अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई क्षमता	1.11.00 से 31.3.03 तक पूर्ण		1.4.03 से 31.3.04 तक पूर्ण		1.4.04 से 31.3.05 तक पूर्ण		1.4.05 से 31.3.06 तक पूर्ण		1.4.06 से 31.12.06 तक पूर्ण		योग	
				योजनाओं की संख्या	नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता	योजनाओं की संख्या	नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता	योजनाओं की संख्या	नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता	योजनाओं की संख्या	नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता	योजनाओं की संख्या	नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता	संख्या	क्षमता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	द्वितीय	5	2118	5	2118	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2118
2	तृतीय	22	11091	20	7427	1	1660	1	2004	-	-	-	-	22	11091
3	चतुर्थ	34	19687	23	8676	4	3018	1	364	5	7459	-	-	33	19517
4	पंचम	7	5220	4	889	-	-	2	2955	1	1376	-	-	7	5220
5	षष्टम	24	10972	7	873	7	5704	9	2379	-	-	1	2016	24	10972
6	सप्तम	24	9003	2	299	8	3193	9	3332	3	1765	-	-	22	8589
7	अष्टम	98	40216	-	-	5	997	41	5028	20	4089	4	608	70	10722
8	नवम	49	37290	-	-	-	-	4	470	9	17579	13	1131	26	19180
9	दशम	39	15380	-	-	-	-	आंशिक 1 नं.	500	4	1722	4	906	8	3128
10	ग्यारहवां	36	20804	-	-	-	-	-	-	-	-	1	486	1	486
योग		**338**	**171781**	**61**	**20282**	**25**	**14572**	**67**	**17032**	**42**	**33990**	**23**	**5147**	**218**	**91023**

भाग चार
सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)

4.1 राज्य के विकास में जल संसाधनों का विशिष्ट एवं महत्व पूर्ण योगदान हैं। जल के बिना ग्रामीण विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। समग्र आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं विकास की प्रक्रिया में हितग्राहियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो। सिंचाई जल प्रबंधन में कृषकों की सक्रिय भागीदारी कृषक संगठनों के माध्यम से संभव हैं।

4.2 सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 पारित किया गया है जिसमें जलउपभोक्ता संथाओं के अधिकारों में वृद्धि कर सिंचाई प्रबंधन तथा जल के समुचित वितरण में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित की गयी है।

4.3 जल उपभोक्ता संथाओं के चुनाव हेतु जिलेवार संथाओं एवं विस्तार क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार हैं :–

स. क्र.	जिला	जल उपभोक्ता संथा की संख्या	विस्तार क्षेत्र (हे में)
1	2	3	4
1	सरगुजा	97	45997.646
2	कोरिया	22	15876.39
3	बिलासपुर	130	141833.47
4	कोरबा	29	10810.062
5	जांजगीर–चांपा	139	207185.715
6	रायगढ़	45	42489.14
7	जशपुर	36	13725.421
8	राजनांदगांव	131	75050.228
9	कवर्धा (कबीरधाम)	47	35527.37
10	दुर्ग	205	198260.02
11	रायपुर	203	256379.25
12	महासमुंद	62	49794
13	धमतरी	61	91310.11
14	बस्तर	33	16560.53
15	कांकेर	41	28837.64
16	दंतेवाडा	43	14924.541
	योग	**1324**	**1244561.533**

भाग – पांच
अभिनव योजना

5.1 छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना :
(एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित)

निर्मित सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई क्षमता के अंतर को कम करने के उद्देश्य से पुरानी योजनाओं के पुनरूद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अंतर्गत लिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की 200 लघु एवं 20 मध्यम परियोजना का पुनरूद्धार एवं उन्नयन, जल उपभोक्ता संथाओं का सघन प्रशिक्षण, कृषकों की कृषि पद्धति में सुधार हेतु क्षमता का विकास एवं विभाग की क्षमता विकास के कार्य सम्मिलित है।

इस परियोजना की लागत रू. 305.74 करोड़ है और यह 30 जून 2006 से प्रभावशील की गई है।

5.2 केन्द्र शासन की वाटर बाडीज जीर्णोद्धार योजना :

पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्ण होने एवं सिल्ट आदि जमा होने के कारण इन योजनाओं में पूर्ण सिंचाई किया जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी योजनाओं को सुदृढ कर सिंचाई विकसित करने हेतु केन्द्र शासन द्वारा वाटर बाडीज जीर्णोद्धार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिला कबीरधाम की रू. 223.63 लाख की लागत की 10 लघु सिंचाई योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में कबीरधाम जिले की 1). नेवारी 2). डबराघाट 3). नकटा 4). अमलीपारा 5). भंडार 6). रेगारवार 7). भैयानाला 8). मिनमिनिया 9). भोरेमदेव 10). हथलेखा योजनायें सम्मिलित की गई है, जिससे 1458 हे. क्षेत्र लाभान्वित होगा।

5.3 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना – द्वितीय चरण (विश्व बैंक सहायतित) :

विश्व बैंक सहायतित राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना द्वितीय चरण में मुख्यतः संकलित डाटा के आधिकाधिक एवं उचित उपयोग से राज्य में जल संसाधनों के विकास की आयोजना एवं रूपांकन, उन्नयन तथा डिसीशन सपोर्ट एवं डिजाइन एड (कम्पयूटर जनित) आदि कार्य सम्मिलित है। इस येाजना की स्वीकृति विश्व बैंक से प्राप्त हो चुकी है एवं अनुबंध का निष्पादन भी हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत भू–जल एवं सतही जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता से उपयोग करना संस्थानों एवं आमजनों को जानकारी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना की कुल लागत 21.51 करोड़ रू. है एवं परियोजना की अवधि छः वर्ष है।

भाग – छः

सारांश

6.1 प्रदेश का विकास मुख्यतः कृषि एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर है, जो बिना जल के संभव नहीं है । राज्य शासन द्वारा जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2006–07 में रू. 859.14 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य के वर्तमान 29 सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय स्तर (48.90%) के समतुल्य लाने के लिये विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य द्रुतगति से संपादित किये जा रहे हैं। राज्य की 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में जल संसाधन के विकास कार्यों हेतु रू. 2455.62 करोड़ की आयोजना सीमा निर्धारित है तथा 3.60 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना अवधि में मार्च 2006 तक 2,70,000 हे. भूमि में सिंचाई सृजित की जा चुकी है। योजना मद के अतिरिक्त रोजगार गारंटी योजना आदि मदों से भी सिंचाई सुविधा बढ़ाने के कार्य किये जा रहे है।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦